



# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर-थानों मार्ग, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून  
वेबसाइट-[www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) E-mail:[chayanayog@gmail.com](mailto:chayanayog@gmail.com)

संख्या: 1981 / अध्याचन / 2024

देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2024

## विज्ञापित / शुद्धि-पत्र

आयोग के विज्ञापन संख्या: 54 / उ0अ0से0च0आ0 / 2024 दिनांक 19.01.2024 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राज्य/जिला अध्यक्ष तथा सदस्यों के कुल 13 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गई है।

2. उक्त विज्ञापन में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की नियुक्ति के लिए अर्हताएं—“कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह न हो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा” अंकित है के स्थान पर —“कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह न हो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा” पढ़ा जाय।

3. उक्त विज्ञापन की शेष शर्तें भी संशोधन के उपरान्त निम्नानुसार पढ़ी जाय

क- अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

1. आयु सीमा 40 वर्ष से 67 वर्ष तक या चार वर्ष का कार्यकाल, जो पहले हो के स्थान पर अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष पढ़ा जाय।
2. पद का स्वरूप स्थाई के स्थान पर स्थायी (चार वर्ष अधिकतम) पढ़ा जाय।

ख-सदस्य, न्यायिक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

1. आयु सीमा 40 वर्ष से 65 वर्ष तक या चार वर्ष का कार्यकाल, जो पहले हो के स्थान पर आयु सीमा 40 वर्ष से 65 वर्ष पढ़ा जाय।
2. पद का स्वरूप स्थाई के स्थान पर स्थायी (चार वर्ष अधिकतम) पढ़ा जाय।

ग-सदस्य, सामान्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

1. आयु सीमा 40 वर्ष से 65 वर्ष तक या चार वर्ष का कार्यकाल, जो पहले हो के स्थान पर आयु सीमा 40 वर्ष से 65 वर्ष पढ़ा जाय।
2. पद का स्वरूप स्थाई के स्थान पर स्थायी (चार वर्ष अधिकतम) पढ़ा जाय।




घ- अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

1. आयु सीमा 35 वर्ष से 65 वर्ष तक या चार वर्ष का कार्यकाल, जो पहले हो के स्थान पर अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष पढ़ा जाय।
2. पद का स्वरूप स्थाई के स्थान पर स्थायी (चार वर्ष अधिकतम) पढ़ा जाय।

ड.-सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

1. आयु सीमा 35 वर्ष से 65 वर्ष तक या चार वर्ष का कार्यकाल, जो पहले हो के स्थान पर आयु सीमा 35 वर्ष से 65 वर्ष पढ़ा जाय।
2. पद का स्वरूप स्थाई के स्थान पर स्थायी (चार वर्ष अधिकतम) पढ़ा जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त विज्ञापन में शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

  
(सुरेन्द्र सिंह सवत),  
सचिव।